लेकिन अपीलार्थी स्वयं एवं उसके
अधिवक्ता उक्त आदेश के बावजूद
भी दि. 6-8-18, 20-8-18, 30-8-18,
को उपस्थित नहीं हुए है जब कि
रेस्पो. स्वयं एवं उसके अधिवक्ता उप.
रहे हो इससे यह प्रमाणित है कि
अपीलार्थी उक्त प्रकरण को चलाने के लिए
इच्छुक नहीं है समझौता होना भी
पत्रावली से जाहिर आता है

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
अपील आधारहीन होने से अस्वीकार
की जाकर खारिज की जाती है

पत्रावली कैफियत शुमार होकर
रजि. नं. से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो

जिला [illegible] राजसमन्द

8-10-18
कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंत्रालयिक
कर्मचारियों के सामुहिक अवकाश पर रहने के कारण
पत्रावली नियत तिथि को पेश नहीं होकर आज
पेश हुई । अतः पत्रावली पूर्वादेश की पालना में
दिनांक 20-12-18 को पेश हों ।

20-12-18
पक्ष. पक्ष. उप. । बहस हेतु अवसर चाहते हैं ।
अतः पत्रा. दि. 21-1-19 को पेश हो ।

21-1-19
अधि० अपीलार्थी अनु०/
अपीलार्थी स्वयं भी अनु०। रेस्पो०
अधि० उप०। इस न्यायालय द्वारा
दि. 9-7-2018 को पारित आदेश
की पालना में अपीलार्थी अधिवक्ता
को अपीलार्थी को न्यायालय में
उप० रखने के आदेश पारित किये
गये थे तथा दि. 16-7-2018 को
बावजूद आदेश अपीलार्थी व उसके
अधिवक्ता उक्त प्रकरण में अनु०
रहे थे प्रकरण में रेस्पो० द्वारा
अपीलार्थी व रेस्पो० के मध्य समझौता
होना जाहिर करते हुए उक्त समझौते
अनुसार अपील को विड्रो करना तय
हुआ था। समझौते की प्रति न्यायालय
की पत्रावली पर पेश की गयी।
उसके अनुसरण में अपीलार्थी को उप०
रहने के आदेश दिये गये थे।